न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 81/2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)

रामस्वरूप पुत्र श्री घीस्या जाति मीना निवासी बडीला तहसीसल वामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

.............अपीलान्टस

बनाम

1. मुनेश } पिसरान घीस्या अकवाम मीना निवासी बडीला तहसील वामनवास
2. कमलेश } जिला सवाईमाधोपुर।
3. मुनेशी पुत्री घीस्या पत्नी धारासिंह जाति मीना निवासी नावडी तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।
4. मगनवाई पुत्री घीस्या पत्नी कमल जाति मीना निवासी जढखेडा तहसील नादौती जिला सवाईमाधोपुर।
5. लैण्ड होल्डर एवं उपपंजीयक वामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

..............रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अपील सं0 63/15 रामस्वरूप बनाम मुनेश निर्णय दिनांक 10.8.2016 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 5.6.2015 ग्राम बडीला द्वारा तहसीलदार वामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रमोद उपमन वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 01.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 10.8.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार बामनवास द्वारा अपीलान्ट के पिता घीस्या पुत्र मांगल्या जाति मीना निवासी बडीला के देहान्त के पश्चात विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 5.6.2015 खोला गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। बाद कार्यवाही प्रकरण में तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.8.2016 पारित करते हुये अपीलान्ट की अपील को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि हर दो तहत अदालतों के आदेश न्यायसंगत नहीं कहे जा सकते क्यों कि प्रथम अपीलीय अदालत एवं विचारण अदालत द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि मृतक घीस्या जाति से मीना है इसलिऐ मीना जाति पर हिन्दु–उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। मृतक घीस्या की उत्तराधिकारी उसकी पुत्रीयों को नहीं माना जा सकता जैसा कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सिद्यान्त प्रतिपादित किया है। इस प्रकार हर दो तहत अदालतों के आदेश विधि विरूद्ध है जो काबिल मंसूखी है। यह कि प्रथम अपीलीय अदालत ने उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर न फरमाते हुये मात्र इस आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 मृतक घीस्या की पुत्रीयां है जबकि मुताबिक धारा 2(2) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मीना जाति को अलग कर रखा है। मीना जाति की विरासत उनकी प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार खोली जाती है। इसके अलावा विवादित नामान्तरकरण स्वीकृति के तहसीलदार द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किये है बल्कि केवल ''शामिल रहे'' शब्द अंकित किया है। यह शब्द स्वीकृति व अस्वीकृति को स्पष्ट नहीं करता। इस लिहाज से भी विवादित नामान्तरकरण पर दिया गया आदेश शून्य है और इस शून्य आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना भी शून्य ही है। इसके अलावा विचारण अदालत तहसीलदार वामनवास द्वारा यह आदेश क्षेत्राधिकार से परे जाकर किया है। मुताबिक 135(1) एलआरएक्ट विरासतन नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को ही है। न तो सुनवाई का कोई अवसर दिया गया न हीं अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये । न ही कोई विधिक वारिसानों की जांच की गई । दौराने नामान्तरकरण खोले जाने किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को अमल में नहीं लाया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियमों के तहत खोला गया है जबकि मृतक घीस्या हिन्दु जाति से न होकर मीना जाति से है और दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति जो मुख्य बिन्दु था उसको ही नजर अंदाज कर दिया गया । इसी तरह तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा भी इसी मुख्य बिन्दु को नजर–अंदाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.8.2016 पारित कर दिया जिससे अपीलान्ट को सख्त तलफी पैदा हो गई है। अपने कथनो की ताईद में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2002 (1) पेज –45–49 एवं आर0एल0 डब्ल्यू 2006 (2) आर जे पेज 695–697 पेश किये गये। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर हर दो तहत अदालतों के आदेश क्रमशः दिनांक 10.8.2016 व दिनांक 5.6.2015 निरस्त फरमाया जाकर मृतक घीस्या की विरासत मीना जाति के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकार किया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.8.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत

अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील मृतक घीस्या के स्वर्गवास के बाद तहसीलदार वामनवास के द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 137 के विरूद्ध पेश की गई है। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई कर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा न तो नामान्तरकरण स्वीकृति के दौरान ना ही तहत अदालत में बहस के दौरान उज्रदारी पेश की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट नामान्तरकरण से पूर्ण सहमत था और उसकी सहमति से ही यह नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है। अपीलन्ट की स्वयं की सहमति होने के कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण 137 व तहत अदालत का निर्णय दिनांक 10.8.2016 विधिसम्मत है। चूकिं अपीलान्ट की स्वयं की सहमति से हर दो तहत अदालतों के अपीलाधीन आदेश पारित करवाये है इस कारण अपीलान्ट अब यह आपत्ति नहीं ले सकते कि दाखिल खारिज गलत प्रकार से स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य ही रहती है। इसके अलावा सहमति को किसी भी अन्य साक्ष्य से खण्डित करने की जरूरत नहीं होती है। हरदो मातहत अदालतों के अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है जिनमें किसी प्रकार के कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अपीलाधीन आदेश न्याययिक परिपेक्ष्य में पारित किया गया निर्णय है । अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.8.2016 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सभी पक्षकार मृतक घीस्या की संताने है एक ही परिवार के है तथा जाति से मीना है। नामान्तरकरण संख्या 341 के कॉलम संख्या 14 व 16 से जाहिर है कि मृतक घीस्या की मृत्योपरान्त तहसीलदार बामनवास द्वारा विरासत का नामान्तरकरण मृतक घीस्या की सन्तानों के नाम स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट का कहना है कि नामान्तरकरण हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम के तहत भरा गया है जबकि पक्षकार मीना जाति से संबधित है। इसलिऐ अपीलाधीन नामान्तरकरण तब विधिसंगत माना जाता जब मीना जाति के कानून के तहत स्वीकृत किया जाता। वकील रैस्पोडेन्ट के कथनों की ताईद में मौजूदा रिकार्ड के अवलोकन से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे हर दो तहत अदालतों की कार्यवाही में अपीलान्ट की सहमति को माना जा सके। वकील अपीलान्ट के इस कथन से हम सहमत है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 341 मीना जाति के प्रचलित कानूनों के मुताबिक नहीं खोला गया है। वास्तव में तहसीलदार वामनवास ने मृतक घीस्या का विरासतन नामान्तरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खोला गया है। हमारी विनम्र राय में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 (2) की ओर गौर नहीं किया गया है। विवादित आराजी अनुसूचित जनजाति की है, जिसमें लडकियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जब तक केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती, तब तक यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। जैसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि 1966 आर.आर.डी. 71 (फुल बैंच) में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। 2002 आर.आर.डी 23 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अपने आप में धारा 2 (2) के अंतर्गत इस अधिनियम का अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर प्रभावी नहीं है तथा यह भी प्रावधित किया गया है कि जब तक केन्द्र सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अन्यथा निर्देशित न करे, तब तक यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर लागू नही होगा। लिहाजा प्रथम अपीलीय अदालत एवं विचारण अदालत के हर दो अपीलधीन आदेश निरस्त योग्य ही रहते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर का आदेश दिनांक 10.8.2016 एवं तहसीलदार वामनवास का आदेश दिनांक 5.6.2015 निरस्त किये जाते है। तहसीलदार वामनवास को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मृतक घीस्या मीना जाति से संबधित है लिहाजा उसके विधिक वारिसानों की जांच/सुनवाई कर मीना जाति के प्रचलित कानून के अंतर्गत पुनः नियमानुसार विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही सुनश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official